न्यायालय, जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी यज्ञ मित्र सिंहदेव, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 54 / 2019 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002.

एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड कार्यालय एचडीएफसी बैंक हाऊस, सेनापति बपत मार्ग, लोअर परेल, वेस्ट मुम्बई 400013 एवं शाखा कार्यालय फोर्थ फ्लोर 10, सेन्ट्रल स्पाईन, टाईम स्कावयर बिल्डिंग, विधाधर नगर, जयपुर।

प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

1. भीम सिंह मीणा पुत्र रामरतन मीणा, पता संतोषी माता के मन्दिर के पीछे, वार्ड नम्बर 16, नीमकाथाना, जिला सीकर– 332713 राज.। ऋणी / बंधककर्त्ता
2. संतोष मीणा पत्नी भीम सिंह मीणा,
पता– सन्तोषी माता के मन्दिर के पीछे, वार्ड नम्बर 16, नीमकाथाना, जिला सीकर।
अन्य पता– प्लॉट नम्बर 8, मोदी बाग कॉलोनी, प्रताप नगर, नीमकाथाना, जिला सीकर
सहऋणी

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

निर्णय

निर्णय दिनांकः 30 अक्टूबर, 2019

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री **अरविन्द थालौड़** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण **भीम सिंह मीणा, संतोष मीणा** को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में **भीम सिंह मीणा पुत्र राम रतन मीणा पता– प्लॉट नम्बर 08, खसरा नम्बर 1004, मोदी बाग कॉलोनी (प्रताप नगर) नीमकाथाना, जिला सीकर राज. पर स्थित है, जिसका माप लगभग 342 वर्गगज है तथा जिसके पूर्व में रोड़, पश्चिम में खुला एरिया, उत्तर में प्लॉट नम्बर 07, दक्षिण में प्लॉट नम्बर 09 स्थित हैं,** को बंधक रखकर **25,00,000/–**रूपये (अक्षरे रूपये **पच्चीस लाख**) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को **दिनांक 23.01.2019** को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

Scanned by CamScanner

राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **23.01.2019** को रजिस्टर्ड डाक से धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया। जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है। वित्तीय संस्थान को भारत के राजपत्र दिनांक 05.08.2016 में सरफेसी अधिनियिम के उपखण्ड के प्रयोजन हेतु वित्तीय संस्थान निर्दिष्ट किया गया है।

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वितीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण **भीम सिंह मीणा, संतोष मीणा** की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक **भीम सिंह मीणा पुत्र राम रतन मीणा पता– प्लॉट नम्बर 08, खसरा नम्बर 1004, मोदी बाग कॉलोनी (प्रताप नगर) नीमकाथाना, जिला सीकर राज. पर स्थित है, जिसका माप लगभग 342 वर्गगज है तथा जिसके पूर्व में रोड़, पश्चिम में खुला एरिया, उत्तर में प्लॉट नम्बर 07, दक्षिण में प्लॉट नम्बर 09 स्थित हैं,** का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु पुलिस इमदाद प्रार्थी वित्तीय संस्था को जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर, प्राप्त किये जाने के आदेश इस शर्त पर दिये जाते हैं कि प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो। उक्त आदेश की पालाना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

6. आदेश आज दिनांकः 30 **अक्टूबर, 2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/10/2019

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

Scanned by CamScanner